सारांश

विगत कुछ वर्षों से बाल अपराध का विषय लगातार हमारे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना हुआ है। यह एक संवेदनशील प्रकृति का विषय है जिस पर गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। बच्चों का अपराध में लिप्त होना कहीं न कहीं हमारी सामाजिक मूल्य व्यवस्था के ह्रास व व्यवस्थागत विफलताओं, जिसमें परिवार से लेकर समाज और शासन तक प्रत्येक स्तर की व्यवस्था शामिल है, का सूचक है। वैसे तो बाल अपराध कोई नई घटना नहीं हैं लेकिन हाल फिलहाल के समय में इसकी प्रकृति में आने वाला बदलाव, जो बच्चों की, गंभीर किस्म के अपराध में बढ़ती संलिप्तता, को दिखा रहा है खतरे का संकेत है। इस बदलाव के पीछे के कारण और समग्र रूप से बाल अपराध के कारणों पर विचार करना समय की मांग है। भारत में बाल अपराध को लेकर विगत दो दशकों में कानूनी स्तर पर अनेक प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस आलेख में न सिर्फ बाल अपराध की अवधारणा, बाल अपराधियों के वर्गीकरण, बाल अपराध के प्रकार, इसके लिए उत्तरदायी कारकों, भारत में बाल अपराध की स्थिति तथा इससे जुड़े कानूनों आदि की चर्चा की गयी है बल्कि इस गंभीर समस्या से निपटने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किये गए हैं।

बाल अपराधः अवधारणा एवं परिभाषा

बाल अपराध को परिभाषित करना अत्यंत जटिल कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, समाज विज्ञानियों तथा विधि संहिताओं द्वारा बाल अपराध की जो परिभाषा दी गयी है उनमें काफी विरोधाभाष व अंतर पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सभी ने इसे परिभाषित करने के लिए अलग अलग उपागम या आधार का उपयोग किया है। बाल अपराध को तकनीकी दृष्टि से परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ''एक अल्पवयस्क या नाबालिग बालक जो 18 वर्ष की आयु से कम है, जो समाज की सुविधाओं का प्रयोग तो करता है किन्तु समाज द्वारा जिस व्यवहार की उससे आशा की जाती है, वह नहीं करता, ऐसे बालक को हम बालापराधी या बाल अपराधी कहते हैं।''1 विधि शब्दकोश में दी गयी परिभाषा के अनुसार ''बाल अपराध एक नाबालिग बच्चे द्वारा प्रदर्शित वह व्यवहार है जो आपराधिक गतिविधियों, निरंतर असामाजिक व्यवहार या अवज्ञा से चिन्हित होता है जिसे उसके माता पिता नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं।''2 फ्रेडलैण्डर ने बाल अपराध को एक ऐसे बाल दुराचार के रूप में परिभाषित किया है जिसके संबंध में कार्यवाही कानून के अंतर्गत की जा सकती है।3 वहीं, संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस की द्वितीय रिपोर्ट में इसे कुछ इस तरह से परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि ''बाल अपराध का अर्थ ऐसे कार्य के करने से समझा जाना चाहिए जो यदि एक प्रौढ़ द्वारा किया जाए तो अपराध माना जाएगा।''4 इन सभी परिभाषाओं में बाल अपराध के दायरे और प्रकृति को लेकर अलग अलग बात कि गयी है लेकिन इन सभी को समग्र रूप से देखे तो बाल अपराध की एक व्यापक परिभाषा तय की जा सकती है जिसके अनुसार बाल अपराध न सिर्फ नाबालिगों द्वारा दंड संहिता के उल्लंघन से जुड़ा व्यवहार है बल्कि ऐसे व्यवहार संरूपों के अनुसरण से भी संबंधित है जो बच्चों और कम आयु के किशोरों के लिए अनुचित माने जाते हैं। यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि 'किशोर या बालक कौन है' इसका निर्धारण अलग अलग देशों ने अलग अलग आयु वर्ग को मानक मान कर किया है। भारत में बाल न्याय कानून के अनुसार किशोर की परिभाषा में 7–18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे आते हैं जिनकी आयु 7 वर्ष से कम और 18 वर्ष की नहीं हो।5

बाल अपराधियों का वर्गीकरण

बाल अपराधियों की श्रेणी में किसे रखा जाए और किसे नहीं यह एक जटिल प्रश्न है जिसके बारे में अब तक कोई एक राय नहीं बन पाई है। अलग–अलग विद्वानों ने अलग–अलग आधारों पर बाल अपराधियों को वर्गीकृत किया है।

हिर्श ने कारित अपराध के प्रकार के आधार पर बाल अपराधियों को छः वर्गों में वर्गीकृत किया है –

1. असाध्यता – अवज्ञा और आवारागर्दी या देर से घर आना
2. गैर–हाजरी – अकारण या बिना अनुमति स्कूल से पलायन या/तथा अनुपस्थिति
3. चोरी छोटी चोरी से लेकर हथियारबंद डकैती तक
4. संपत्ति विध्वंस – सार्वजनिक और निजी संपित्त का ध्वंस

मंयक चंद्रा
अधिवक्ता दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली

5. हिंसा – व्यक्ति या समुदाय के विरूद्ध

6. यौन अपराध – समलैंगिकता से बलात्कार तक

ईटन तथा पोक ने बाल अपराध को पांच समूहों में बांटा है। इनमें शामिल हैं –

1. छोटे उल्लंघन, जैसे – उपद्रवी आचरण या नियम विरूद्ध व्यवहार तथा यातायात नियमों के उल्लंघन के मामले

2. बड़े अपराध या उल्लंघन, इसमें मोटरों की चोरियां शामिल है

3. संपत्ति का उल्लंघन

4. शराब और मादक पदार्थो का व्यसन

5. शारीरिक चोट या क्षति जिसमें हत्या और बलात्कार जैसे मामले शामिल हैं

ट्रोजेनोविज ने बाल अपराधियों को आकस्मिक, असमाजिकृत, आक्रामक, अनियमित, पेशेवर तथा गिरोह के रूप में संगठित, की श्रेणी में बांटा है। जबकि मनोवैज्ञानिक बाल अपराधियों को उनके व्यक्तिगत लक्षणों और मनोवैज्ञानिक गतिशीलता के आधार पर पांच वर्गों में बांटते हैं – मानसिक रूप से दोषपूर्ण, मनोरोगी, तंत्रिका रोग से ग्रस्त, परिस्थितिजन्य और सांस्कृतिक।6

बाल अपराध के प्रकार

आचरण या व्यवहार के तरीकों तथा संरूपों के अपने सामाजिक सन्दर्भ या कारण, के आधार पर बाल अपराध को भिन्न भिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। हारवर्ड बेकर ने अपने अध्ययन में बाल अपराधों के चार प्रकार बताये हैं। यह चार प्रकार निम्नवत हैं7 –

1. व्यक्तिगत बाल अपराध – इस तरह के बाल अपराध में एक ही व्यक्ति बाल अपराध को अंजाम देता है, जिसके लिए उसका व्यक्तित्व उत्तरदायी होता है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत बाल अपराध का विश्लेषण करते हुए यह तर्क दिया है कि ऐसे अपराध मुख्यतः मनोवैज्ञानिक समस्याओं का परिणाम होते हैं जिसके लिए दोषपूर्ण, अनुचित, रोगात्मक, पारिवारिक अन्तःक्रिया के संरूप उत्तरदायी हैं।

2. समूह द्वारा समर्थित अपराध – दूसरों की संगति में किये जाने वाले इन अपराधों का कारण व्यक्ति के घर और पड़ोस की संस्कृति में निहित होता है। थ्रेशर एवं शॉ तथा मैके ने इस तरह के अपराधों से जुड़े अपने अध्ययनों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि बाल अपराध की मुख्य वजह किशोरों का अपराधियों के संपर्क और संगति में आना है।

3. संगठित बाल अपराध – इसमें बालक औपचारिक रूप से संगठित गुटों के सदस्य के रूप में अपराध करते हैं। इस तरह के अपराधों में गुट या समूह के मूल्यों व संस्कृति के प्रभाव तथा नियंत्रण में आकर बच्चे अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं।

4. परिस्थितिवश बाल अपराध – इस प्रकार के अपराध परिस्थितियों से प्रभावित तथा प्रेरित होते हैं। परिस्थितिवश बाल अपराध की यह मान्यता है कि एक बालक, अपराध के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के बिना, मुख्यतः कमजोर मनोवेग नियंत्रण या/तथा कमजोर पारिवारिक नियंत्रण के कारण परिस्थितियों के प्रभाव में आकर अपराध करता है।

अंतर्ग्रस्त कारक

बच्चों को अपराध हेतु प्रेरित करने वाले कारकों पर विचार करें तो हम पाते हैं कि इसके पीछे कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है। अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को अलग अलग कारक अपराध हेतु प्रेरित कर सकते हैं, या यह भी हो सकता है कि कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव में बच्चा अपराध हेतु प्रेरित हो। इन कारकों का अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरह से वर्गीकरण किया है। बेन्हम ब्रिज ने इन कारकों को पारिवारिक कारक, मानसिक कारक, शारीरिक कारक, पड़ोस कारक, विद्यालयी कारक तथा व्यावसायिक कारक, इन छह वर्गों में बांटा है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है8 –

1. पारिवारिक कारक – इसके अंतर्गत मुख्यतः अस्वच्छ स्थितियां, आर्थिक अभाव या आधिक्य, बेरोजगारी, माता पिता या भाई बहनों की मानसिक तथा शारीरिक असामान्यताएं, अनैतिक और अपराधी माता पिता, सौतेले माता पिता या अभिभावकों द्वारा बुरा बर्ताव, अवैधता का कलंक, माता पिता द्वारा देखभाल और स्नेह का अभाव, माता पिता तथा बच्चों के मध्य विश्वास और स्पष्टता की कमी, हानिकारक और गलत दिशा में निर्देशित अनुशासन, भाई बहनों के साथ अनुपयुक्त संबंध, बुरा उदहारण आदि जैसे कारक आते हैं। इनके कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वे चेतना और व्यवहार नियंत्रण की शक्ति को खो देते हैं, साथियों के मध्य आत्म–सम्मान और आत्म–विश्वास की कमी महसूस करते हैं, उनमें हीन भावना का जन्म होता है और साथ ही वे माता पिता तथा समाज के प्रति विद्रोही हो जाते हैं। भारत में आंकड़े बताते हैं कि बाल अपराध में शामिल ज्यादातर बच्चे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों से आते हैं जिन्हें पर्याप्त प्यार, देखभाल तथा उचित मार्गदर्शन नहीं

मिला होता है। साथ ही पैसे की कमी के कारण उनकी छोटी छोटी सी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती हैं, जिससे कई बार न चाहते हुए भी वे गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं।

2. मानसिक कारक – मानसिक कारक में मुख्य रूप से मानसिक दोष, श्रेष्ठतर प्रतिभा, पागलपन, तंत्रिका रोग, भावनात्मक अस्थिरता, स्वभावगत तथा भावनात्मक असामान्यताएं, असमान मानसिक विकास, कल्पना आसक्ति, मानसिक द्वंद्व, दमन, हीन भावना, अंतर्मुखता, स्वार्थ, बदले की भावना, सुस्ती और आलस्य, किशोर भावनात्मक अस्थिरता, यौन आदतें और अनुभव आदि शामिल हैं। इनके कारण बालक प्रायः अपने कार्यों के परिणाम को नहीं समझ पाते, उनमें सामाजिक व पारिवारिक मूल्यों को लेकर उदासीनता देखने को मिलती है, दूसरों के प्रति उनका व्यवहार अपमानजनक हो सकता है, चिंता, चिड़चिड़ाहट तथा अवसाद के कारण वे छोटी छोटी सी बात पर आक्रोशित हो सकते हैं, कल्पना और वास्तविकता के मध्य अंतर को समझने की क्षमता नहीं होने से अपने हर कदम को सही मानते हैं। इसके अतिरिक्त यह मानसिक कारक बच्चों के सामाजिक समायोजन के मार्ग में भी बाधक बन सकते हैं और उनमें सामाजिक संस्थाओं के प्रति वितृष्णा तथा घृणा भाव उत्पन्न कर सकते हैं जिससे वे अपराध के रास्ते पर चल सकते हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली में हुए निर्भया बलात्कार काण्ड में शामिल बाल अपराधी द्वारा अपने कृत्य पर अफसोस तक नहीं जताना और यह कहना कि बलात्कार की शिकार लड़की को विरोध नहीं करना चाहिए, बाल अपराधी की उस रुग्ण मानसिक स्थिति को दिखलाता है जिसमें वह सही गलत के बीच भेद करने की स्थिति में नहीं है और अपने गलत कृ त्य को भी सही ठहराने की कोशिश करता है।

3. शारीरिक कारक – बाल अपराध के लिए उत्तरदायी शारीरिक कारकों में हम मुख्यतः कुपोषण, नींद की कमी, विकास संबंधी असामान्यताएं, संवेदी दोष, भाषण दोष, अन्तःस्रावी विकार, शारीरिक विकृतियां, अन्य बीमारियां, भारी भरकम काया तथा मौसम संबंधी प्रभावों को रख सकते हैं। इनकी वजह से बालकों में जड़ता, मानसिक आलस्य, घबराहट, उनींदापन, उत्तेजना, मानसिक संघर्ष, अपने आप को साबित करने की चाह, आत्मविश्वास की कमी, शर्मिंदगी आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जिनसे वे अपराध करने की दिशा में प्रवृत्त हो सकते हैं। इस तरह के कारक जब बच्चों को अपराध के लिए प्रेरित करते हैं तब वे एक साथ उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों होते हैं और उनके मामलों को विशेष संवेदनशीलता के साथ देखे जाने की आवश्यकता होती है।

4. विद्यालयी कारक – विद्यालय बच्चों को समाजिकता का पाठ पढ़ाने और उन्हें राष्ट्र के भविष्य के तौर पर विकसित करने की जगह हैं लेकिन कई बार इन विद्यालयों में बच्चे समाजिकता की जगह असमाजिकता का पाठ सीख लेते हैं। बाल अपराध के लिए जिम्मेदार विद्यालयी कारकों में हम अपर्याप्त स्कूल की ईमारत और उपकरण, मनोरंजन के लिए अपर्याप्त सुविधाएँ, कठोर और गैर लचीली विद्यालयी व्यवस्था, कमजोर उपस्थिति कानून और उनका ढ़ीला ढ़ाला प्रवर्तन, गलत ग्रेडिंग, असंतोषजनक और अयोग्य शिक्षक, शिक्षकों के प्रति छात्रों के अवांछनीय दृष्टिकोण, बुरे स्कूल साथी तथा दोषपूर्ण नैतिक संहिता को रख सकते हैं। यह कारक अकेले या सम्मिलित रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें हतोत्साहित, शिथिल या विद्रोही बना सकते हैं, शिक्षकों और विद्यालय के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न कर सकते हैं तथा उनमें उन आदतों और अभिवृत्तियों का विकास कर सकते हैं जो इन बच्चों को अपराधी बना सकते हैं।

5. पड़ोस संबंधी कारक – बाल अपराध के लिए उत्तरदायी कारकों में, पड़ोस संबंधी कारक विशेष रूप से उत्तरदायी हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मनोरंजन सुविधाओं की कमी, भीड़ भरा पड़ोस और मलिन बस्तियां, बदनाम क्षेत्र, अनैतिक परिवेश, विलासिता और संपत्ति का सानिध्य, गिरोह तथा गिरोह संहिता का प्रभाव, अकेलापन, सामाजिक मेल जोल केंद्रों की कमी तथा अश्लील चलचित्रों का प्रभाव आदि आते हैं। इनके कारण बालकों या किशोरों में शारीरिक तथा मानसिक विकार, भावनाओं का दमन, अनैतिकता, भीड़ मनोविज्ञान, हर कीमत पर पैसा कमाने की चाह, सामाजिक स्वीकृति से वंचना का भाव, अवांछनीय यौन आदतें, निर्दयता तथा सही गलत का अंतर कर पाने में असमर्थता जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

6. व्यावसायिक कारक – इसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से व्यवसाय या कारोबार का अनियमित स्वरूप, खाली समय, अकारण गैर हाजिरी, कारखाना प्रभाव, एकरसता और कठोरता तथा शिक्षुता प्रणाली में गिरावट को रख सकते हैं। इसमें व्यवसाय संबंधी अनिश्चितता से जहाँ बच्चे की व्यय संबंधी स्वतंत्रता प्रभावित होती है और वह अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए चोरी डकैती में लिप्त हो सकता है, तो वहीं, खाली समय

में चिंता के साथ भटकाव की संभावना को बढ़ावा मिलता है। कारखाने में बड़े सहकर्मियों द्वारा अपराध के लिए प्रेरणा या उदाहरण से बच्चों के गलत रास्ते पर चलने की भी संभावना बनी रहती है। युवा होते बच्चों के लिए कई बार परिवार के अनुशासन को स्वीकार करना मुश्किल होता है और वे विद्रोही व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण बहुतायत में मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि कार्य और विद्यालय से अकारण गैर हाजिर होने वाले बच्चे ऐसी संगति पाल बैठते हैं जो उनके लिए हानिकारक होती है। आखिर में शिक्षुता प्रणाली जिससे वयः संधि काल में बच्चों को स्वनियंत्रण और समाजोपयोगी बनने हेतु प्रशिक्षण मिलता था, का अनवरत होता ह्रास भी बच्चों के भटकाव को बढ़ावा देकर उन्हें अपराध के रास्ते पर धकेल सकता है।

भारत में बाल अपराध से संबंधित कानून

भारत में बाल अपराध से संबंधित विधानों का इतिहास हम औपनिवेशिक सरकार के दौर में तलाश कर सकते हैं। यह अंग्रेजी सरकार ही थी जिसके समय में सर्वप्रथम बाल अपराध से जुड़े विषयों को लेकर वैधानिक प्रावधान किये गए और बच्चों के अपराध को वयस्कों के अपराध से भिन्न मानकर इससे संबंधित प्रावधान किये गए। सन 1947 में जब हमने स्वतंत्रता अर्जित की तब भी हमने बाल अपराध को लेकर पूर्ववर्ती औपनिवेशिक सरकार के विधानों को ही आधार मानकर आगे प्रयास जारी रखा। भारत में स्वतंत्रता पूर्व और उसके पश्चात बने बाल अपराध से संबंधित कानूनों में कुछेक प्रमुख कानून निम्नवत हैं –

1. शिक्षु अधिनियम, 1850 – भारत में प्रथम किशोर विधान के रूप में जाने जाने वाले इस अधिनियम द्वारा दण्डनायकों को बच्चों को नियोक्ताओं के पास प्रशिक्षु के रूप में रखने तथा नियोक्ता एवं प्रशिक्षुओं के मध्य संबंधों को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई। इसमें छोटे मोटे अपराधों में संलिप्त बच्चों से संबंधित प्रावधान भी किये गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि बच्चों को गलत रास्तों से हटाकर अच्छे जीवन हेतु कोई कौशल सीखने का मौका दिया जाए।9

2.भारती य दंड संहिता, 1860 – इसमें बाल अपराध से संबंधित दो मुख्य प्रावधान किये गए जिनके द्वारा सात वर्ष तक के बच्चों को सभी आपराधिक दायित्वों से मुक्ति तथा सात से बारह वर्ष तक के वैसे बच्चों को सभी आपराधिक दायित्वों से मुक्त रखने की व्यवस्था की गयी है जो न्यायाधीश के अनुसार इतने परिपक्व नहीं हैं कि अपने कृत्यों की प्रकृति तथा परिणामों को समझ सकें।10

3. सुधारालय अधिनियम, 1897 – इस कानून के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि बाल अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने वाली अदालतें ऐसे अपराधियों को तीन से सात वर्षों के लिए जेल की बजाय सुधारालय में भेज सकती हैं बशर्ते सुधारालय जाते समय बाल अपराधी की आयु पंद्रह वर्ष से अधिक न हो क्योंकि किसी भी बाल अपराधी को अठारह वर्ष पूरा करने के बाद इन सुधारालयों में नहीं रखा जा सकता है।11

4. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 – यह अधिनियम 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों, जिन्हें कारावास (किन्तु आजीवन कारावास नहीं) से दंडनीय किसी अपराध में दोषी पाया जाता है, अपराध की प्रकृति तथा चरित्र को ध्यान में रखते हुए न्यायालय द्वारा परिवीक्षा पर मुक्त करने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गलती से या किसी खास परिस्थितिवश पहली बार अपराध करने वाले युवा होते व्यक्तियों को सुधार का एक मौका देना है।12

5. बाल न्याय अधिनियम, 1986 – बाल न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमों (बीजिंग नियम, 1985) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1986 ई. में उपेक्षित और अपराधी किशोरों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास तथा पुनर्वास हेतु बाल न्याय अधिनियम 1986 को प्रवर्तित किया। इस अधिनियम की एक मुख्य विशेषता इसमें अपराधी बच्चों के विपरीत उपेक्षित बच्चों के लिए, जिनके अपने जीवन के दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों के कारण आगे चलकर अपराध में लिप्त होने की आशंका है, कानूनी तौर पर विशेष सहायता की व्यवस्था की है। साथ ही इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि अपराध करने वाले बालक बालिकाओं (आयु क्रमशः 16 वर्ष तथा 18 वर्ष) को न सिर्फ बाल अधिनियम के अंतर्गत दण्डित करना होगा बल्कि ऐसे बाल अपराधियों को किसी भी परिस्थिति में कारागार में अन्य कैदियों के साथ नहीं रखा जायेगा।13

6. किशोर न्याय अधिनियम, 2000 – बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, बीजिंग नियम, अपनी स्वतंत्रता से वंचित किशोर की सुरक्षा के लिए बने संयुक्त राष्ट्र नियम और दूसरे तमाम राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रणालियों जो बच्चों को साफ तौर पर 18 वर्ष तक की उम्र का व्यक्ति परिभाषित करते हैं, के सिद्धांतों पर

आधारित है। यह कानून भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन के चार बड़े अधिकारों 1. जीवन का अधिकार, 2. सुरक्षा का अधिकार, 3. विकास का अधिकार तथा 4. सहभागिता का अधिकार, को मान्यता प्रदान करता है।14

7. बाल न्याय (संशोधन) अधिनियम, 2006 – यह संशोधन अधिनियम, कानून के अस्तित्व में आने के एक वर्ष के भीतर राज्य सरकारों द्वारा सभी जिलों में बाल न्याय मंडल तथा बाल कल्याण समितियों की अनिवार्य रूप से स्थापना की व्यवस्था करता है। इस अधिनियम में कानून के साथ संघर्षरत किशोरों को पुलिस अभिरक्षा या लॉक–अप में रखने को प्रतिबंधित कर उन्हें 24 घंटे के अंदर बाल न्याय परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनयम के द्वारा विधि विरूद्ध बच्चों या किशोरों की निजता को सुरक्षित रखने हेतु उनकी पहचान को गोपनीय रखने की सख्त हिदायत दी गयी है। इसमें मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु हर छः माह पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी/मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा लंबित मामलों की समीक्षा के साथ साथ बच्चों की देखभाल और संरक्षण से जुड़ी सभी संस्थाओं (चाहें वे राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हों या किसी स्वैछिक संगठन द्वारा) के लिए कानून के पास होने के छः माह के अंदर अनिवार्य पंजीकरण की व्यवस्था को भी शामिल किया गया है।15

8. किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 – किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 बेहतर ढंग से बच्चों की देखभाल और कानून के साथ विवाद की स्थिति में उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया विधान है। इसके कुछ मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं – अधिनियम में 'किशोर' शब्द से जुड़े कई नकारात्मक संकेतार्थ को खत्म करने के लिए 'किशोर' शब्द से 'बच्चे' शब्द की नामावली में परिवर्तन, अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों की नई परिभाषाएँ, बच्चों के छोटे, गंभीर और जघन्य अपराधों में भेद, किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) व बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारों, कार्यों और जिम्मेदारियों में स्पष्टीकरण, 16 साल से ऊपर के बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराध की स्थिति में विशेष प्रावधान, अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को गोद लेने संबंधी नियमों पर अलग नया अध्याय तथा बाल कल्याण व देखभाल संस्थानों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाना। इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत 16–18 साल की उम्र के बाल अपराधियों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। किशोर न्याय बोर्ड के पास बच्चों द्वारा किए गए जघन्य अपराधों के मामलों को प्रारंभिक आकलन के बाद उन्हें बाल न्यायालय (कोर्ट ऑफ सेशन) को स्थानांतरित करने का विकल्प होगा।16

भारत में बाल अपराध

भारत में बाल अपराध को लेकर विगत कुछ वर्षों में लोगों की दिलचस्पी और जागरूकता बढ़ी है। अब इस विषय को लेकर समाज से लेकर शासन और मीडिया तक की सक्रियता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। लेकिन भारत में बाल अपराध की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए हमें कुछ गंभीर प्रयास करने की जरूरत है ताकि हम अपने निष्कर्षों की प्रमाणिकता और विश्वसनीयता को लेकर आश्वस्त हो सकें। इसके लिए हमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के उन आंकड़ों को देखने, परखने और विश्लेषित करने की जरूरत है जो बाल अपराध को लेकर सबसे व्यापक और प्रामाणिक माने जा सकते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 2014 के आँकड़ों के अनुसार भारत में बाल अपराध के कुल 42,566 मामले दर्ज किए गए जिनमें 48,230 बच्चों को पकड़ा गया। पकड़े गए बच्चों में 372 बच्चे 7 से 12 आयु वर्ष के, 11,220 बच्चे 12 से 16 आयु वर्ष वर्ग के तथा 36,138 बच्चे 16–18 आयु वर्ग के थे। इनमें बालक और बालिकाओं की कुल संख्या क्रमशः 46638 तथा 1592 दर्ज की गयी। हालांकि अलग अलग आयु समूह में बाल अपराध के मामलों में अलग अलग अपराधों की प्रधानता दिखती है लेकिन समग्र रूप से देखें तो इस दौरान दर्ज किए गए बाल अपराध के कुल मामलों में सर्वाधिक 20 प्रतिश तमामले चोरी के, 5.4 प्रतिशत बलात्कार के जबकि 2.5 प्रतिशत मामले हत्या के सामने आए। आँकड़ों के अनुसार भारत में बाल अपराध में पकड़े गए बच्चों में से 90 प्रतिशत ने मैट्रिक तक की पढ़ाई भी नहीं की थी। इन 48,230 गिरफ्तार बच्चों में से 38,693 अपने माता पिता के साथ जबकि 7905 अपने अभिभावकों के साथ रहते थे। 1632 बच्चे ऐसे थे जो बिना घर बार के थे। परिवार की आर्थिक स्थिति की बात करें तो बाल अपराध में पकड़े गए बच्चों में से 90 प्रतिशत की वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रूपय से भी कम थी। इनमें से भी आधे से अधिक यानि 26,809 की वार्षिक पारिवारिक आय तो महज 25,000 रूपय तक थी। बाल अपराध के मामलों में गिरफ्तार कुल 48,230 बच्चों में सिर्फ 1215 बच्चे उच्च व उच्च मध्य आय वर्ग वाले परिवार से आते थे। आम अवधारणा के विपरित आँकड़ों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट

होती है कि भारत में विगत एक दशकों में बाल अपराध की दर, कुल अपराध का 1 प्रतिशत (2004) से 1.2 प्रतिशत (2014) के बीच ही रही है। इसमें भी अपराध दोहरने वाले बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है और 2011 के 11.5 प्रतिशत की तुलना में 2014 में ऐसे बालकों की संख्या घटकर 5.4 प्रतिशत रह गयी है। भारत में बाल अपराध के मामलों के विश्लेषण से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि देश में ऐसे मामलों के पीछे मुख्यतः वंचनाजनित कारक जिम्मेदार हैं और ज्यादातर बच्चें गरीबी, गलत संगति, माता पिता द्वारा पर्याप्त ध्यान न देने, उचित मार्गदर्शन की कमी तथा शिक्षा के अभाव में सही गलत का बोध नहीं होने के कारण अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं।17,18

बाल अपराध की समस्या से निपटने हेतु सुझाव

कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। वह जो कुछ भी अच्छा बुरा, सही गलत सीखता है, समाज में ही सीखता है, जिसके उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। बाल मन कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसे हम किसी भी रूप में ढ़ाल सकते हैं, लिहाजा बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। बाल अपराध की घटनाएँ बच्चों से कहीं अधिक उनके माता पिता, परिवार, पड़ोस, समाज, विद्यालय तथा शासन द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाने में विफलता का परिणाम होती हैं। अतः बाल अपराध से निपटने की किसी भी कार्ययोजना में इन सबको शामिल करना आवश्यक है। भारत में बाल अपराध की समस्या से निपटने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं –

1. भारत में बाल अपराध के 90 प्रतिशत मामलों में हिरासत में लिए गए बच्चों ने मैट्रिक तक की भी पढ़ाई नहीं की है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये बच्चे किसी न किसी कारण से विद्यालयी शिक्षा हासिल नहीं कर सके हैं। अगर हम देश में सिर्फ अनिवार्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था भी अमल में लाने में कामयाब हो जाते हैं तो बाल अपराध की दर काफी हद तक कम हो सकती है।

2. भारत में 2011 से लगातार वैसे बाल अपराधियों का प्रतिशत जो अपराध दोहराते हैं, निरंतर कम होता जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि बच्चे इरादतन अपराधी नहीं हैं। वे किसी तात्कालिक परिस्थिति या आवश्यकतावश अपराध करते हैं। विशेषकर बाल अपराध के सर्वाधिक 20 प्रतिशत मामले, जो चोरी से संबंधित हैं, वे ज्यादातर उनकी मामूली जरूरतों की पूर्ति भी नहीं हो पाने का नतीजा है। हमें बच्चों की इन छोटी छोटी आवश्यकताओं पर ध्यान देना होगा।

3. ज्यादातर बच्चे बड़ो की संगति में अपराध सीखते हैं। खास तौर पर मलिन और बदनाम बस्तियों में जहां बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं होती और सामाजिक वातावरण दूषित होता है, बच्चे लगातार उस माहौल में रहते हुए गलत आदत व आपराधिक प्रवृत्तियाँ विकसित कर लेते हैं या कर सकते हैं। इन बच्चों को इस माहौल से दूर रखने हेतु सरकार तथा एनजीओ के द्वारा विद्यालय क्रीडांगन, स्वस्थ मनोरंजन सुविधा समेत समय–समय पर काउंसिलिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

4. कार्य स्थल पर बाल श्रमिक न सिर्फ शोषण का शिकार होते हैं बल्कि उनके मालिकों एवं अधिक उम्र के सहकर्मियों द्वारा नशे व अपराध की लत भी लगा दी जाती है। यह बेहद खतरनाक स्थिति है लिहाजा सरकार को बाल श्रम पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के साथ साथ ऐसे बच्चों के पुनर्वास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

5. कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दुर्भाग्यवश स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव और गरीबी के कारण अभी भी हमारे देश में कुपोषण और संक्रमण जनित बीमारियों के साथ जीने वाले बच्चों की बड़ी संख्या मौजूद है। ऐसे में शारीरिक विकृतियों व असामान्य शारीरिक विकास के साथ सामाजिक जीवन में प्रविष्ट होने वाले बच्चों को सही प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और देखभाल के जरिए समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और असमर्थताजनित कुंठा या हीन भावना से निकालने की जरूरत है ताकि उन्हें अपराधी बनने से रोका जा सके।

6. समय के साथ साथ हमारे विद्यालय शिक्षण केंद्र के स्थान पर व्यवसाय केंद्र बनते जा रहे हैं। हम बच्चों को डिग्रियाँ तो बांट रहे हैं लेकिन वे नैतिक रूप से किस धरातल पर खड़े हैं यह हमारी चिंता और चिंतन का विषय नहीं रह गया है। परिवार में भी बच्चे दादा दादी की नैतिक शिक्षा युक्त कहानियों की जगह ऐसे कार्टून और वीडियो गेम को देखते व खेलते हुए बड़े हो रहे हैं जिनका उनके बाल–मन पर दूषित प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति बदलने की जरूरत है। हमें पूर्व की भांति विद्याालयों में नैतिक शिक्षा देने के साथ ही घर पर भी बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा युक्त स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करनी होगी।

7. एक बालक समाजिकता का पहला पाठ माँ के चुंबन और पिता के दुलार के साथ सिखता है, मगर आज की भौतिकतावादी और भाग–दौड़ की दुनिया में माता पिता चाह कर भी अपने बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते, इससे बच्चों में जो अनुशासन और संवेदना विकसित होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। ऊपर से माता पिता द्वारा अपनी ईच्छा के अनुसार बच्चों की पढ़ाई–लिखाई से लेकर कैरियर तक के निर्धारण की जिद उन्हें अनावश्यक दबाव में लाकर विद्रोही बना देती है। इसके लिए माता पिता और बच्चों की काउंसिलिंग करने की जरूरत है ताकि बच्चे न तो बिल्कुल नियंत्रणहीन हो और न ही उन पर इनता कठोर नियंत्रण हो कि उनकी अपनी आजादी और पहल शक्ति ही पूर्णतः समाप्त हो जाए।

References

1. Prasad, Rajendra et al. (2016) Bal Aparadh: Aswasth Sharer ewam Aswasth Samaj ka Bhavishya, In Paswan, Amaranth, Chandra, Manish(Eds.) Bharateey Loktantra ka Samajik aur Rajneetik Pariprekshya, New Delhi, Victorious Publishers, pp.112-113

2. Juvenile Deliquency, Retrieved from https://Legaldictionary.net/juvenile-deliquency/

3. Friedlander, Walter, A. (1957) Introduction to Social Welfare, New York, Prentice Hall,p.44

4. Report of the Second United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders,

5. Kishor kaun hai? Retrieved from http://hi.vikaspedia.in/education/child-rights/92c93e932-93894193091594d93793e-914930-91593f93694b930-92894d92f93e92f-93594d92f93593894d92593e/91593f93694b930-91594c928-939948

6. Ahuja, Ram (2004) Samajik Samasyayen, Jaipur, Delhi, Rawat Publications,p.341

7. Ibid,pp.344-346

8. Bridges,K. M., Banham (1927) Factors Contributing to Juvenile Delinquency, Journal of Criminal Law and Criminology,Vol.17, Issue- 4,pp. 532-575

9. (Dr.) Panda, Prativa (2016) Legislation and juvenile justice system in India- An Analysis, International Journal of Academic Research and Development, Vol. 1, Issue 4, April,p.16

10. Ibid

11. Madan, G.R. (2002) Bharateey Samajik Samasyayen, Delhi, Vivek Prakashan,p.95

12. Aparadhi Pariviksha Adhiniyam 1958, Retrieved from http://www.legislative.gov.in/sites/default/files/H195820.pdf

13. Narrain, Arvind & Manoharan, Arlene (2003) The Juvenile Justice Act 1986, The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 and The Karnataka Rules under the same, in the light of Relevant International Standards: A Comparative Table, Centre for Child and the Law, National Law School of India University, Banglore, Retrieved from https://www.nls.ac.in/ccl/jjdocuments/juvenilejusticeact1986.pdf

14. Kishor Nyay (Bachchon ki Dekhbhal ewam Suraksha Adhiniyam) 2000,

15. (Dr.) Panda, Prativa (2016) Legislation and juvenile justice system in India,op.cit.,p.

16. Kishor Nyay (Bachchon ki Dekhbhal ewam Sanrakshan) Adhiniyam 2015 aaj se lagu, 15 January 2016, PIB Retrieved from http://pib.nic.in/newsite/hindirelease.aspx?relid=44346

17. CRIME- Statistical Year Book India 2017, Retrieved from http://www.mospi.gov.in/statistical-year-book-india/2017/206

18. Nair, Shalini, Tiwary, Deeptiman (2015, Dec. 23) Juvenile crime share static: Govt's own data contradicts Maneka Gandhi's claim, The Indian Express, Retrieved from https://indianexpress. com/article/india/india-news-india/juvenile-crime-share-static-govts-own-data-contradicts-minister-manekas-claim/